पत्रांक–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं०........

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार,
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– **पंचायत के विभिन्न रिक्त पदों पर उप निर्वाचन, 2025 : मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **पंचायती राज विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या–7263, दिनांक–09.06.2025 संसूचित आयोग का पत्रांक–2606, दिनांक–09.06.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पंचायत उप निर्वाचान, 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक–09.07.2025 को मतदान कराया जाना निर्धारित है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 131 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् है :–

"**131–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी**–(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप–धारा–(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता खंड–(1) या खंड–(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के केवल रिक्त पदों वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मतदान होना है, से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है। जिससे कि राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

पंचायत उप निर्वाचान, 2025 के अन्तर्गत निर्धारित मतदान की तिथि दिनांक–**09.07.2025 (बुधवार)** को निर्धारित है। उक्त निर्धारित मतदान की तिथि को संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/कारखानों में नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर देने हेतु सूचना का प्रकाशन बिहार में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बिहार में प्रकाशित होने वाले हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त सूचना निर्वाचन तिथि के एक दिन पूर्व निश्चित रूप से प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०–सॉफ्ट कॉपी एवं सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राजेश कुमार)
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं०............ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक, निर्माण श्रमिक–सह–नोडल पदाधिकारी, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सूचना के प्रकाशन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

ह०/–
उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

ज्ञापांक :–1/एफ1–127/06 (खण्ड) श्र०सं० 3700 पटना, दिनांक–26/6/25

प्रतिलिपिः– आई०टी०, मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

25-06-2025

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत निम्नांकित रिक्त पदों पर दिनांक– 09 जुलाई 2025 को मतदान कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है।

प्रमंडल	क्र०	जिला	पद का नाम						कुल
			जिला परिषद सदस्य	ग्राम पंचायत मुखिया	ग्राम कचहरी सरपंच	पंचायत समिति सदस्य	ग्राम पंचायत सदस्य	ग्राम कचहरी पंच	
पटना	1	पटना	1	2	2	3	27	103	138
	2	बक्सर	0	0	1	0	5	13	19
	3	भोजपुर	1	3	5	3	25	42	79
	4	कैमूर	0	1	1	0	12	18	32
	5	रोहतास	0	2	4	2	25	35	68
	6	नालन्दा	0	1	1	2	22	34	60
मगध	7	गया	0	1	0	1	33	44	79
	8	नवादा	0	3	0	2	18	49	72
	9	औरंगाबाद	0	1	5	1	21	39	67
	10	जहानाबाद	0	0	1	1	7	14	23
	11	अरवल	0	0	1	0	4	14	19
सारण	12	सारण	0	1	2	0	25	55	83
	13	सिवान	1	3	5	3	38	87	137
	14	गोपालगंज	0	3	0	4	34	63	104
तिरहुत	15	मुजफ्फरपुर	0	1	3	6	38	73	121
	16	वैशाली	1	2	2	6	31	55	97
	17	पू० चम्पारण	1	2	5	1	36	53	98
	18	प० चम्पारण	0	2	3	1	35	50	91
	19	सीतामढ़ी	1	1	1	1	23	52	79
	20	शिवहर	0	1	1	0	5	7	14
दरभंगा	21	दरभंगा	1	6	1	2	50	85	145
	22	मधुबनी	0	1	3	7	43	86	140
	23	समस्तीपुर	0	1	5	2	44	56	108
कोशी	24	सहरसा	0	2	1	0	8	18	29
	25	सुपौल	0	1	3	3	16	22	45
	26	मधेपुरा	0	0	2	0	14	20	36
पूर्णियाँ	27	पूर्णियाँ	0	1	2	3	15	39	60
	28	किशनगंज	0	2	0	2	12	15	31
	29	कटिहार	0	0	4	4	28	43	79
	30	अररिया	0	1	7	4	13	37	62
मुगेर	31	मुगेर	0	1	1	1	20	28	51
	32	लखीसराय	0	2	0	0	11	15	28
	33	शेखपुरा	0	2	1	1	8	15	27
	34	बेगूसराय	1	3	5	1	26	50	86
	35	खगड़िया	0	4	0	3	11	22	40
	36	जमुई	0	0	2	0	8	30	40
भागलपुर	37	भागलपुर	0	5	1	1	26	41	74
	38	बांका	0	1	2	1	22	47	73
कुल			8	63	83	72	839	1569	2634

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 131 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् है :–

"131–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी–(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप–धारा–(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिनं के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता खंड–(1) या खंड–(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचन पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

अतः राज्य सरकार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 131 के आलोक में यह निदेश देती है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत ऐसे सभी कर्मियों के लिए जो राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मतदान करने के लिए योग्य हैं, संगत अधिनियमों के अधीन मतदान की तिथि दिनांक–09.07.2025 (बुधवार) को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें तथा अनिवार्य कार्यो के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करें।

25/06/25

(दीपक आनन्द)
सचिव